

खास-खबरें

जर्जर शासकीय भवन तोड़कर बनाए जाएंगे नए भवन : कलेक्टर



नईदुनिया, प्रतिनिधि, रतलाम: मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत बाजना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत देवली में जिला स्तरीय शिविर में जर्जर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जनसुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने पेयजल संकट, नल-जल योजना में देरी, हैंडपंप मरम्मत, सामुदायिक भवन निर्माण, आंगनवाड़ी को नए भवन में स्थानांतरित करने और स्कूल की छत से पानी टपकने जैसी समस्याएं रखीं। जल संरक्षण के लिए बोरी बंधान बनाने तथा खेल मैदान से विद्युत डीपी हटाने की मांग भी की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में जर्जर शासकीय भवनों को चिन्हित कर डिस्मेंटल कराया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार नए भवनों के निर्माण की स्वीकृति लेकर काम कराया जाएगा। शिविर में उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। कृषि विभाग ने किसानों को मिट्टी परीक्षण, संतुलित उर्वरक और किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन, एसडीएम सुनील जायसवाल, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जनभागीदारी से ही सफल होगा नशा मुक्त भारत अभियान : शर्मा

नईदुनिया, प्रतिनिधि, विदिशा: नशा मुक्त भारत अभियान के राज्य स्तरीय ट्रेनर वेदप्रकाश शर्मा ने कहा है कि भारत में तेजी से बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर बनाए गए कार्यक्रमों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने परिवार और मोहल्ले में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। यदि किसी व्यक्ति को नशे की लत है तो उसे अपराधी समझकर उससे दूरी बनाने के बजाय समय रहते उपचार और परामर्श के लिए नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वेदप्रकाश शर्मा ने परिवर्तन गण कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नशे से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए केंद्र तक लाने, काउंसलिंग, परिवार के सहयोग तथा उपचार के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। घर, परिवार या मोहल्ले में यदि कोई व्यक्ति नशे की समस्या से पीड़ित है तो उसे समय रहते नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क कराकर नि:शुल्क उपचार एवं आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराया जा सकता है।

पेंशनर्स की मांगों को लेकर संयुक्त आंदोलन सम्पन्न



नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: ऑल प्रोग्रेसिव पेंशन वेलफेयर संगठन द्वारा भोपाल के तुलसी नगर स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित एक दिवसीय धरने के अवसर पर मध्यप्रदेश शासकीय अधिकारी कर्मचारी जनकल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष एवं कर्मचारी नेता रामगोपाल सेन का सम्मान किया गया। वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष सुधीर दुबे, महामंत्री अभय जैन, एच.पी. टांक सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पेंशनर्स साथियों की उपस्थिति में उन्हें शाल-श्रीफल एवं पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए

रामगोपाल सेन ने पेंशनर्स संगठनों के प्रांताध्यक्षों से एकजुट होकर अपनी मांगों को शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी संगठन अपने-अपने स्तर पर कार्य करते रहें, लेकिन पेंशनर्स एवं कर्मचारियों की साझा समस्याओं को लेकर संयुक्त हस्ताक्षर से ज्ञापन तैयार कर शासन को सौंपे जाएं। इससे शासन तक एकजुटता का स्पष्ट संदेश पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय-सीमा में मांगों का निराकरण नहीं होता है, तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।

हाईकोर्ट के निर्णयों का

अर्पण, तर्पण और समर्पण में छिपा जीवन का दर्शन : पं. शास्त्री

गंजबासौदा। पितरों के प्रति श्रद्धा केवल

श्राद्ध और तर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके दिए संस्कारों को जीवन में अपनाना भी जरूरी है। माता-पिता के प्रति सम्मान, समाज के प्रति सेवा और परमात्मा के प्रति समर्पण ही सार्थक जीवन का आधार हैं। यह संदेश पं. केशव गुरु शास्त्री ने छैल बिहारी मंदिर, वार्ड क्रमांक 18 में आयोजित 16 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के समापन अवसर पर दिया। उन्होंने अर्यमा देव की महिमा का वर्णन करते हुए श्राद्ध, तर्पण और पारिवारिक कर्तव्यों का आध्यात्मिक महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में अर्पण, तर्पण और समर्पण जीवन के तीन महत्वपूर्ण दायित्व हैं। समाज की सेवा और जनकल्याण के कार्यों में योगदान देना अर्पण है। शास्त्री ने कहा कि पितृ पक्ष पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर है। कथा के समापन अवसर पर मूडरी धाम के महंत श्री 108 परशुराम दास महाराज भी उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं से धर्म, सदाचार और सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्य यजमान मयंक तेनगुरिया सहित श्रद्धालुओं ने आरती कर कथा को विराम दिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, जयप्रद अश्वक्ष नीतू सिंह रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि देवेन्द्र यादव, राजेश तिवारी, विजय अग्रवाल, संतोष व्यास और सतीश पाराशर सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।

पीथमपुर में पांच दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कई मांगें मंजूर



नईदुनिया प्रतिनिधि, पीथमपुर: नगर परिषद पीथमपुर में पिछले पांच दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मांगों पर चर्चा और आश्वासन के बाद समाप्त हो गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) आरती गिरवाल ने बताया कि नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर निर्णय होने वाली मांगों को शासन को भेजा गया है।

बैठक में कर्मचारियों ने प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने और सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति देने की मांग रखी। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता देने, परिवार के सदस्य को नौकरी उपलब्ध कराने, कर्मचारियों

का स्वास्थ्य परीक्षण कराने और ठेका प्रथा बंद करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। सीएमओ आरती गिरवाल ने बताया कि नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाली मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। शासन स्तर से संबंधित मांगों को आवश्यक कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश शासन, भोपाल भेजा गया है। बैठक में अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश भेजा, उपाध्यक्ष पप्पू असुलिया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष डॉ. हेमंत हीरोले, प्रेम पाटीदार, महेश पथरिया, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष कैलाश सागर, डॉ. मुकाती, अभियान संगठन के पदाधिकारी संजय भेरवे और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी जितेंद्र परोतिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

बैठक के बाद सुरेश पटेल, पप्पू असुलिया, प्रेम पाटीदार, डॉ. हेमंत हीरोले और जितेंद्र परोतिया ने सहयोग के लिए आधार जताया।

नगर पालिका की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव परिषद में सर्वसम्मति से पारित, 21 गांव होंगे शामिल

बढ़ियाखेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया भी सीमा विस्तार में शामिल, शहर के विकास को मिलेगी नई दिशा



नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा कि नगर पालिका की सीमा वृद्धि का उद्देश्य सीहोर के विकास को नई दिशा देना और आने वाले समय की जरूरतों के अनुरूप शहर की विकास योजनाओं को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि शहर का विस्तार केवल भौगोलिक सीमा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ नागरिक सुविधाओं, सड़क, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आवश्यक है।

आगे बोलते हुए अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहा कि परिषद द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया यह निर्णय सीहोर के भविष्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नए क्षेत्रों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने से शहरी विकास को योजनाओं को व्यापक स्तर पर तैयार करने का अवसर मिलेगा। हमारा प्रयास है कि सीहोर का विकास व्यवस्थित रूप से हो और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर काम किया जाए।

इन गांवों और औद्योगिक

नशामुक्त समाज की शुरुआत घर से करें : इंदिरा शर्मा



इसलिए बच्चों और युवाओं को अच्छी संगत अपनाने के लिए प्रेरित करना जरूरी है।

बच्चों को नशे से दूर रखने में परिवार की भूमिका अहम: इंदिरा शर्मा ने महिलाओं और अभिभावकों से बच्चों को बचपन से ही नशे से दूर रहने की सीख देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार और सकारात्मक वातावरण देना जरूरी

है। माता-पिता को बच्चों के व्यवहार और उनकी संगत पर शुरू से ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कम उम्र में बच्चों के नशे की गिरफ्त में आने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि छह वर्ष तक के बच्चों में भी नशे की शुरुआत के उदाहरण सामने आना गंभीर विषय है। कई बार बच्चे बड़ों को देखकर या जिज्ञासावश नशे की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए परिवार के बड़े सदस्यों को भी बच्चों के सामने मादक पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि परिवार के सदस्य स्वयं नशे से दूर रहेंगे, तो बच्चों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नशामुक्त समाज बनाने के लिए हर परिवार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

नवदुर्गा से पहले माताजी की टेकरी पर तैयारियों का लिया जायजा



नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: नवदुर्गा पर्व से पहले माताजी की टेकरी पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को उज्जैन संभागयुक्त आशीष सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राकेश गुप्ता और पुलिस महानिरीक्षक नवनीत भसीन ने टेकरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मार्ग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और पेयजल सहित विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

संभागयुक्त आशीष सिंह ने

निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रमुख स्थानों पर शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी उसी अनुपात में लागू की जाएगी। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को इन स्थानों पर अधिक देर तक न रुकना पड़े। पुलिस अधीक्षक गेहलोत ने बताया कि नगर निगम भवन के समीप पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं की जानकारी दी।

कालिदास चित्रकला प्रतियोगिता में नवांकुर-डॉल्फिन का परचम

गंजबासौदा। जिला स्तरीय कालिदास प्रतियोगिता की चित्रकला स्पर्धा में नवांकुर विद्यापीठ और डॉल्फिन स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में नवांकुर विद्यापीठ की छात्रा उपासना जाट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कनिष्ठ वर्ग में डॉल्फिन स्कूल के छात्र हर्षित अंबेडकर ने बाजी मारी। दोनों विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और चित्रकला कौशल का शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। उपासना और हर्षित की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य पदवीर रावत, विरट शिक्षक सहलवान सिंह राजपूत, केजय लाहौरी, डॉल्फिन स्कूल के प्राचार्य संदीप जेटेली सहित विद्यालय परिवार ने दोनों विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शक शिक्षक वासुदेव शर्मा को बधाई दी। सभी ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी इसी तरह सफलता हासिल करेंगे।

सिंहस्थ के कार्यों में कमियां पड़ी भारी टेकेदारों पर 15 लाख पेनाल्टी



नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: उज्जैन में थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट टीम द्वारा बताई गई कमियों के आधार पर संभागयुक्त आशीष सिंह ने मांगीयुक्त सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शहर में प्रस्तावित लाइटिंग कार्य से जुड़े टेकेदार पर पांच लाख एवं हरियाखेड़ी जल आवर्धन योजना का कार्य करने वाले टेकेदार द्वारा काम गुणवत्ता के साथ नहीं करने पर 10 लाख की पेनाल्टी लगाई है।

उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को समन्वय के साथ थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट टीम द्वारा बताई गई कमियों को दूर करते हुए काम समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देश सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के अंतर्गत शहर एवं मेला क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न अधोसंरचना एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान सिंहस्थ मेला कार्यालय में संभागयुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने दिए।

बैठक में संभागयुक्त सिंह ने घाट क्षेत्र में प्रस्तावित लाइटिंग कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश

उपस्थित रहे।

पश्चिम मध्य रेल	
ई-खुली निविदा सूचना क्र. 21-2026	
वरिष्ठ मंडल यंत्रिक इंजीनियर (कोचिंग) पश्चिम मध्य रेल, भोपाल भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से अनुवर्ती एवं प्रतिष्ठित फर्मों से निम्न कार्य हेतु ई-खुली निविदाएं आमंत्रित करते हैं। (1) कार्य विवरण— Outsourcing of different activities at New IOH Shed at RKMP for 01 year, (2) अनुमानित लागत— रु.52,31,431.07 (Including GST) (3) कार्य अवधि: 01 वर्ष (4) बयाना राशि— रु.1,04,700.00 (5) निविदा फार्म मूल्य-निल (6) निविदा बन्द होने की तिथि/समय-दिनांक: 30.10.2026 को 15:00 बजे तक, (7) निविदा खोलने की तिथि/समय- दिनांक: 30.10.2026 समय 15:30 बजे के पश्चात। (8) निविदा सूचना इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है एवं निविदा से सम्बंधित पूरी जानकारी एवं पात्रता की शर्त वेबसाइट http://www.irops.gov.in पर उपलब्ध है। (9) इस निविदा के लिए कोई मैन्युअल आफर स्वीकार नहीं किया जाएगा।	
वरिष्ठ मंडल यंत्रिक इंजीनियर (कोचिंग), पश्चिम मध्य रेल, भोपाल	
स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर	

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस), आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7 वीं मंजिल, प्लॉट P-6,7,8, से-5, आई.एम.टी. मानेसर, गुडगांव, हरियाणा- 122050. Email: roc.cpace@mca.gov.in	 Government of India Ministry of Corporate Affairs Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE) IICA Building, 7 th Floor, Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122050. Email: roc.cpace@mca.gov.in
---	---

प्रारूप संख्या एसटीके-6 सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 (1) के अध्याय (2) और अध्याय (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के अधिनियम 7 के अनुसारण में।

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2026-27/1500

दिनांक :-29/09/2026

संदर्भ :

S No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AC5758596	U10799MP2025PTC080785	एसएम डिलाइट प्राइवेट लिमिटेड
2	AC5744356	U15549MP2022OPC061358	बीविलवर वेचर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AC5735243	U46304MP2023PTC064628	एसएमजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
4	AC5738422	U72900MP2020OPC051760	जॉबवॉर्ब ऑनलाइन रिक्तपेट सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
5	AC5677511	U60200MP2025PTC074658	ग्यालियर ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AC5696369	U72900MP2020PTC052081	टेकएनविजेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	AC5731851	U80903MP2022OPC059099	दामरेश्वर एकेसी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
8	AC5650559	U86100MP2024PTC071789	आरोग्य सिद्धि हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
9	AC5647583	U42900MP2024PTC072161	एलएसआर आयननकॉक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
10	AC5639681	U62099MP2023PTC068033	कोडिगहेवसा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
11	AC5659879	U50200MP2021PTC054438	प्रभात पब्लिस प्राइवेट लिमिटेड
12	AC5685153	U24100MP2022PTC063496	जाइवर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
13	AC5601537	U24299MP2020PTC054266	डीएड डी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	AC5437848	U01409MP2022PTC059249	उडोगीनी प्लास प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
15	AC5600599	U74300MP2010PTC024044	सुजन इमैजिकक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
16	AC5579157	U62090MP2024PTC071921	जैसन आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AC5584304	U45209MP2022PTC061949	प्रियायु रिगल्टी प्राइवेट लिमिटेड
18	AC5490876	U24230MP2021OPC055490	आयुषा ग्राम (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
19	AC5291742	U15311MP2007PTC019342	गुरु कृपा एग्जिटो क प्राइवेट लिमिटेड
20	AC5671103	U93090MP2020PTC054107	सीएमपी मैट्रोमीनियल प्राइवेट लिमिटेड
21	AC5675066	U52609MP2022PTC064078	ओस्वाल्स मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
22	AC5731315	U10401MP2023PTC068085	श्री रानाज सॉल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AC5606142	U09100MP2013PTC030586	अयिलफील्ड एंड इंस्ट्रियल सलाई प्राइवेट लिमिटेड
24	AC5690516	U46201MP2025PTC080925	छवि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
25	AC5685751	U17299MP2018PTC047379	फिरोदा कॉउचर प्राइवेट लिमिटेड
26	AC5641353	U86901MP2023OPC067854	तर्ण आयुर्वेद (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
27	AC5614881	U72900MP2021PTC058286	प्रेसइज फिनेट प्राइवेट लिमिटेड
28	AC5583943	U31900MP2016PTC041626	सुकोम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AC5654549	U01220MP2015PTC034981	समशाइन ओप फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
30	AC5703794	U85190MP2021PTC028585	हाइजिया लाइफ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
31	AC5562000	U45203MP2020PTC054099	स्टनर इंडास्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड
32	AC5564818	U72900MP2020PTC051067	टास्की यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
33	AC5597024	U74999MP2017PTC043805	जेगन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
34	AC5577010	U20237MP2025PTC080474	नवोदय हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
35	AC5542740	U01110MP2017PTC043561	बीकैडी हर्ब्स एंड ओप प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AC5532649	U45309MP2020PTC051386	मा वैणवी डेवलपर्स एंड प्रमोटेड प्राइवेट लिमिटेड
37	AC5737743	U51909MP2021OPC055596	जी कांग मोबाइल इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
38	AC5596911	U74140MP2021PTC056163	चौरागिया ब्रदर्स मीडिया एंजनी प्राइवेट लिमिटेड
39	AC5429843	U72200MP2015PTC033684	सेवन आईटी आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
40	AC5646795	U1100MP202016PTC040752	प्रावर्द्ध एनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
41	AC5467709	U80211MP2021PTC056374	ब्रेनरिकल्स एजुकेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
42	AC5401821	U66010MP2016PTC041011	निशेवाला इश्योर्स वेब एप्लीमेंटर प्राइवेट लिमिटेड
43	AC5435863	U45203MP2015PTC033936	व्योमदेव इंग्रालिड प्राइवेट लिमिटेड
44	AC5435251	U34300MP1996PTC010418	राजपाल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

CBC 07123/11/0665/2627

इरकन तिर्की
उप-पंजीयक, त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र